राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1930/2025

डॉ. जावेद हुसैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.02.2025
आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सैयद सादत अली, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, Atbada, पाली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, भादराजून, जालौर किया गया है। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 30.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का विभाग द्वारा दस बार स्थानान्तरण किया जा चुका है, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा Atbada पाली से भादराजून, जालौर किया गया है। अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2000 में हुई है और इस प्रकार अपीलार्थी की लगभग 25 वर्ष की सेवा पर उसके कथनानुसार 10 बार स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण सेवा का अभिन्न अंग है और किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्यहित में ली जानी है। इस प्रकार हम आलोच्य स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष